भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

62/339

विक्रय मूल्य -रू0 5,00,000/-
मालियत -रू0 4,95,000/-
स्टाम्प -रू0 35,000/-
परगना - मोहनलालगंज

विक्रय विलेख

विक्रय विलेख का संक्षिप्त विवरणः-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - मोहनलालगंज
3. मोहल्ला/ग्राम - मस्तेमऊ (टी-कोड-00115)

-------2

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 912212

4. सम्पत्ति का विवरण–भूमि खसरा संख्या–554 व 555 का भाग

5. मापन की इकाई –हेक्टेअर

6 सम्पत्ति का क्षेत्रफल–0.1236 हेक्टअर

7. सड़क की स्थिति–(परिशिष्ट के अनुसार)

– सुल्तानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर।

8. अन्य विवरण (लिंक/खड़ण्जा/जनपदीय मार्ग इत्यादि)– नहीं

9. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि

11. पेड़ों का मूल्यांकन – x

12. बोरिंग/कुआं/अन्य – x

13. निर्माण का वर्ष – x

------- 3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 912273

(3)

14. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है– नहीं

15. प्रतिफल की धनराशि 5,00,000/– रुपया

<u>खसरा संख्या–554 व 555 की संयुक्त चौहद्दी</u>

पूरब	:	भूमि खसरा सं0–556 व 558
पश्चिम	:	भूमि खसरा सं0–553
उत्तर	:	चक मार्ग
		बादहू (भूमि खसरा सं0–843, चकनाला)
दक्षिण	:	चक मार्ग

------- 4

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 840557

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

प्रकाश पुत्र राधेलाल निवासी-ग्राम-जवाहर नगर, मजरा-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।

क्रेता का विवरण

मेसर्स अमरावती इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, कार्यालय पता-498/143, गोपाल सदन, प्रथम तल, निकट-आई0टी0 चौराहा, फैजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा अधोहस्ताक्षरी श्रीकान्त मिश्रा पुत्र ए0एन0 मिश्रा

मनकि प्रकाश पुत्र राधेलाल निवासी-ग्राम-जवाहर नगर, मजरा-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, (विक्रेता) का हूँ :-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 840558

जो कि भूमिधरी आराजी खसरा संख्या–554, रकबा 0.327 हेक्टेयर व खसरा संख्या–555 रकबा–0.392 हेक्टेयर कुल दो किता कुल रकबा–0.719 हेक्टेयर का जुज भाग यानी 0.1236 हेक्टेयर स्थित ग्राम–मस्तेमऊ, परगना व तहसील– मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ, का मालिक कामिल व काबिज है। उक्त भूमि विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है, जो राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार के रूप में दर्ज है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

840559

उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा, ऋण आदि से पूर्णतया बरी व पाक-साफ है, जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है। अब अपनी राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त वर्णित भूमि, नम्बरी व पैमायशी, को बकीमती मुबलिग **रूपया-5,00,000/- (पाँच लाख रूपया मात्र)** जिसके आधे **रूपया-2,50,000/- (दो लाख पचास हजार**

----- 7

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 912963

रुपया मात्र) होते हैं, में बदस्त मेसर्स अमरावती इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, कार्यालय पता– 498/143, गोपाल सदन, प्रथम तल, निकट–आई0टी0 चौराहा, फैजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा अधोहस्ताक्षरी श्रीकान्त मिश्रा पुत्र ए0एन0 मिश्रा, (क्रेता) के पक्ष में विक्रय कर दिया यानि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना विक्रेता ने अपने ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता या उसके किसी वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व

-----8

दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व उसके वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, विक्रेता को कोई मुकाम उज्र का न होगा। अब आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में जहाँ उचित समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या ट्यूबवेल या इमारत आदि नहीं है तथा 200 मीटर त्रिज्या के

(मु.आ. प्रजापति)

----- 9

अन्दर कोई निर्माण व आबादी नहीं है और न ही आवासीय गतिविधियां विद्यमान है। विक्रीत भूमि पर कोई पेड़ आदि नहीं लगा है और उक्त भूमि कृषि भूमि है। विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं।

विक्रीत भूमि ग्राम–मस्तेमऊ, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ के अर्द्धनगरीय क्षेत्र की भूमि है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल–**0.1236 हेक्टेअर** है, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा सरकारी मूल्य **रूपया 40,00,000/–** प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व सम्पर्क मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालियत मुबलिग **रूपया 4,95,000/–** होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है। अतः विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश **संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–स.वि.क.नि.5–2756/ 11–2008–500(165)/2007 दिनांक 30.06.2008** के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से **रूपया 35,000/–** का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई

-----10

निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में अधिगृहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

लिहाजा यह **बैनामा** रूबरू गवाहान उभय पक्षों ने खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरूस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से अपने-अपने हस्ताक्षर करके निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

भूमिधरी आराजी खसरा संख्या-554, रकबा 0.327 हेक्टेयर व खसरा संख्या-555 रकबा-0.392 हेक्टेयर कुल दो किता कुल रकबा-0.719 हेक्टेयर का जुज भाग यानी 0.1236 हेक्टेयर स्थित ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।

तफसील वसूलयाबी ज़रसमन

1. रूपया-5,00,000/- चेक संख्या-891714 दिनांकित 31.08.2013 अदाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा-बाबूगंज, लखनऊ।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रूपया 5,00,000/- (पॉच लाख रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया

----- 11

है। अब कोई भी धनराशि विक्रीत आराजी से सम्बन्धित क्रेता से विक्रेता को पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ

दिनांक : 31.08.2013

ह0 विक्रेता

1. गवाह :

पता :

2. गवाह :

ह0 क्रेता

पता :

टाइपकर्ता

(सोनू बालाजी)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता

(मुकेश मणि त्रिपाठी)

एडवोकेट

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

0–200 मीटर की त्रिज्या में मानचित्र

भूमिधरी आराजी खसरा संख्या–554, रकबा 0.327 हेक्टेयर व खसरा संख्या–555 रकबा–0.392 हेक्टेयर कुल दो किता कुल रकबा–0.719 हेक्टेयर का जुज भाग यानी 0.1236 हेक्टेयर स्थित ग्राम–मस्तेमऊ, परगना व तहसील– मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।

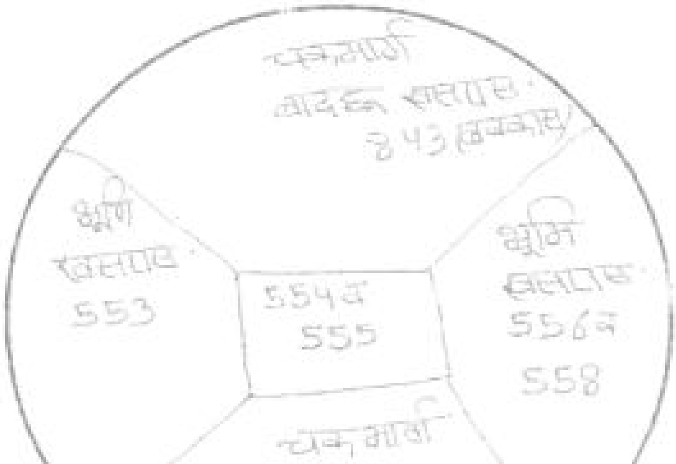

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

आज दिनांक 31/08/2013 को

बही सं 1 जिल्द सं 4023

पृष्ठ सं 145 से 168 पर क्रमांक 11275

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय

उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

31/8/2013